(c) what was Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SMT. BASAVARAJESWARI) : (a) No, Sir. The All India Women's Conference, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi has reported that no such conference was held on Saturday 12th February, 1994 on their premises. The National Commission for Women also has not held any such meeting.

(b) and (c) Do not arise.

मल और कूड़ा ढोने के पेशों में लगे व्यक्ति

1812. **अजीत जोगी :**

चौधरी हरि सिंह :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मल और कूड़ा ढोने के धंधे में लगे परिवारों के व्यक्तियों को इस धंधे से एक निश्चित समय में मुक्त कराने की भारत सरकार की कोई नीति है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पेशे में कार्यरत परिवारों के सभी बच्चों को सरकार द्वारा शुरु की गयी विशेष छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत लाभ दिया जाएगा ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इनको भंगी मुक्ति योजना के तहत लाभ देने का इरादा नहीं है ;

(घ) क्या इस तरह के परिवारों के बच्चों को छात्रवृत्ति के लाभ देने के लिए परिवार की कोई अधिकतम आय-सीमा निर्धारित की गयी है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या वर्तमान में यह सीमा व्यवहार्य है और क्या इससे इस पेशे में लगे परिवारों को शिक्षा देने का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना में हाथ से मैला साफ करने की प्रथा को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक समाप्त करने की परिकल्पना की गई है ।

(ख) अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत शुष्क शौचालयों के सफाई कर्मियों, चर्मकारों, चर्मशोधकों तथा सफाई कर्म से परम्परागत रूप से जुड़े सफाई कर्मचारियों के सभी बच्चे कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र होंगे बशर्ते यदि तीसरे अथवा परवर्ती बच्चे का जन्म 1-4-93 के बाद होता है अतः इस योजना के तहत केवल दो बच्चे पात्र होंगे । यह योजना कक्षा 9 और 10 में केवल दो बच्चों के लिए उपलब्ध होगी ।

(ग) सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास योजना के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा विभिन्न ट्रेडों और व्यवसायों में उनका पुनर्वास किया जाता है ताकि उन्हें स्व-रोजगार प्रदान किया जा सके ।

(घ) तथा (ङ) अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत आय की अधिकतम सीमा 25-2-94 से हटा दी गई है । तथापि, प्रत्येक लाभग्राहियों से इस बाबत एक प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना होता है कि अभी तक माता-पिता में से कम से कम एक अस्वच्छ व्यवसाय अर्थात् हाथ से मैला साफ करने, चर्म कार्य करने, चर्मशोधन करने में लगा हुआ है अथवा वे झाड़ूदार जो सफाई कर्म से परम्परागत रूप से जुड़े हुए हैं।

Population of Disabled Persons in the Country

1813. MISS SAROJ KHAPARDE : Will the Minister of WELFARE be pleased to state :